न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नवली बनाम ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	नव .. प्र.न. – 191/2015
	पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.02.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
17.02.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार करते हुए वादपत्र को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.03.10 11:51:52 IST Reason: SelfAttested 17/02/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
191/2015	2015/0233	24.08.2015	17.02.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. बबली पत्नि हरिशंकर आयु 30 वर्ष, जाति जाट निवासी जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—वादीया—

बनाम्

1. **पतासी देवी बेवा मंगला के बजाय :–**

   1/1 श्रीमति मिश्रीदेवी पुत्री मंगला जाति गुर्जर निवासी ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

2. भगवन्त सिंह पुत्र मंगला आयु 50 वर्ष
3. सांवतसिंह पुत्र मंगला आयु 48 वर्ष
4. नाथू पुत्र नानुडा उर्फ नानुराम आयु 58 वर्ष
5. सुण्डा पुत्र नानुडा उर्फ नानुराम आयु 56 वर्ष
6. **औंकार पुत्र नानुडा उर्फ नानुराम मृत्तक के बजाय :–**

   6/1 प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र स्व0 औंकार आयु 28 वर्ष

   6/2 कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 औंकार आयु 26 वर्ष

   6/3 सुमन पुत्री स्व0 औंकार आयु 24 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

6/4 इन्द्राज पुत्र स्व0 औंकार आयु 20 वर्ष

7. बहादुर पुत्र नानुडा उर्फ नानुराम आयु 50 साल

8. झूमा देवी पुत्री नानुडा उर्फ नानुराम आयु 48 साल

9. मनबरी देवी पुत्री नानुडा उर्फ नानुराम आयु 45 साल

10. महावीर पुत्र धुडा आयु 28 वर्ष

11. कोयली देवी पत्नि औंकरमल आयु 45 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

12. लालचन्द पुत्र गिरधारी लाल आयु 26 साल जाति जाट निवासी जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

13. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर

13.ए शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई बैंक, श्रीमाधोपुर **(कार्यवाही विड्रा दिनांक 09.05.2022)**

14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

15. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कचंनपुर तहसील श्रीमाधोपुर।

16. शाखा प्रबन्धक, एक्सिस बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

---प्रतिवादीगण---

उपस्थितः–

श्री दिलीप कुमार मंगावा, एड0 वादीया अभिभाषक।

श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर, एड0 प्रतिवादी संख्या [illegible] 12 अभिभाषक।

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी [illegible] 3 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

13/04/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अंतर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 96, 97, 113 कुल किता 3 कुल रकबा 2.0100 हैक्टर तन् ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे अवस्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि में वादिया 2/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एंव शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 12 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार है। वादिया एंव प्रतिवादीगण अपने – अपने हिस्से कें अनुसार मौके पर काबिज काश्त एंव आबाद चले आ रहे है। भूमि खसरा नम्बर 114 कुल किता 1 कुल रकबा 0.68 हैक्टर तन् ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर तहासील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसकी वादिया 4/68 हिस्से की काबिज काश्तकार है में वादिया का नाम राजस्व कर्मचारीयो की गलती से हट गया है। रिकार्ड के अनुसार वादीया का उक्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर 12 के हिस्से में 4 एयर भूमि अंकित हो गयी। प्रतिवादी नम्बर 12 का हिस्सा रिकार्ड के अनुसार 9/68 हिस्से के अनुसार 5/68 एंव वादिया का हिस्सा 4/68 अंकित होना दुरूस्तनीय है। उक्त दर्ज भूमि का अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के मन में वर्तमान समय में जमीनों की बढ़ती हुयी कीमतो के कारण बदयान्ति आ गयी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को लेकर बुवाई जुताई व हिस्से का आए दिन अनावश्यक रूप से वाद– विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग करने के रूप में प्रतिवादीगण आये दिन अवरोध उत्पन्न करते रहते है तथा बात–बात को लेकर झगड़े फिसाद एंव मरमार करने पर उतारू रहते है इसलिए उक्त भूमि का वादिया का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तथा वादीया अपनी आवश्यकतानुसार अपनी हिस्से की भूमि को समुचित विकास एंव उपयोग – उपभोग करने से महरूम हो रही है। प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवायें ही भूमि को दिगर भूमाफियो को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ठ भाग पर निर्माण करने एंव कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिर्वतन करने की धमकियॉ दे रहे है व वादिया को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकियॉ दे रहे है। जिनको बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। वादीया को प्रतिवादीगण ने काफी हैरान व परेशान कर रखा है। कहने सुनने से प्रतिवादीगण मान नहीं रहे है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमि मुतनाजा का बंटवारा नहीं होने से वादीया को सख्त हकतलफी हैं। भूमि का विभाजन नहीं होने से व प्रतिवादीगण की भूमि मुतनाजा में बेंजा हरकतों में बेंजा हरकतो से वादीया को भूमि को शामिल में काश्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का तकास्मा करवाया जाकर हिस्सेनुसार तन्हा खातेदारी मौके के अनुसार अलग–अलग अकिंत किया जाना व उसके अनुसार अलग–अलग कब्जा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है तथा प्रतिवादीगण को बिना बंटवारे के शामलाती अविभक्त भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर निमार्ण करने, दीगर को बेचान करने या स्वंय का विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 12 बिना बंटवारा कराये उक्त वर्णित भूमि को बढती हुयी कीमतों के कारण उनके मन में बदयान्ति आने पर दीगर भूमाफियाओ को विशिष्ठ भू भाग को बैचान करने एंव जबरन विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा कराने पर आमादा है। कहने सुनने से मान नहीं रहे है तथा धमकी दे रहे है कि हम हमारी ईच्छानुसार भूमि के विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने वादीया को शामलाती भूमि से बेदखल करेगें तथा भूमि को अकृषि भूमि में बदलेगें एंव दीगर भूमाफियावृत्ती के लोगो को विक्रय करेगें। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि में विशिष्ठ जगह पर स्वंय का कब्जा कर लिया [illegible] को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा [illegible] कर दिया तो वादीया के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक [illegible] से प्रभावित होगें। वादीया अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

12/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हिस्से की भूमियो से बेजा तौर पर महरूम हो जाएगी। अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी, जिससे वादीया को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 ता 12 की उक्त गलत, अवैध एंव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीया जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की कानूनी अधिकारी है एंव प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। वादीया व प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा है। इसलिए वादीया ने उपरोक्त भूमियों का मौके स्थिति व हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो वे आजकल– आजकल करते रहे तथा दिनांक 10.08.2015 को प्रतिवादीगण ने भूमियो कानूनी बंटवारा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा विभाजन के भूमियों के कीमती विशिष्ठ एंव उपजाऊ भाग पर जोर जबरन से अतिक्रमण करने एंव कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एंव दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त भूमि का छोटे छोटे भूखण्डो में बैचान करने की एहलानिया धमकी देने से वादकरण पैदा हुआ है व लगातार हो रहा है। वकील वादिया ने दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड का पेश कर दावा निम्न प्रकार डिकी किये जाने का निवेदन किया है:– भूमि खसरा नम्बर 114 कुल किता 1 कुल रकबा 0.68 हैक्टर ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर में वादीया का हिस्सा राजस्व कर्मचारीयो की गलती से हट गया है रिकोर्ड के अनुसार वादीया का उक्त भूमि में प्रतिवादी नम्बर 12 के हिस्से में 4 एयर भूमि अकिंत हो गयी। प्रतिवादी नम्बर 12 के हिस्सा रिकार्ड के अनुसार 9/68 हिस्से के बजाय 5/68 एंव वादीया का हिस्सा 4/68 अकिंत होना दुरूस्त किये जाने एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 96, 97, 113 कुल किता 3 कुल रकबा 2.0100 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 114 कुल किता 1 कुल रकबा 0.68 हैक्टर तन् ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का दर्ज हिस्से अनुसार वादीया एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 12 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग–अलग बटा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकोर्ड बनाया जाकर इन्द्राज किया जाने तथा अलग–अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

13/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सीव कायम कर नकशे में तरमीम किये जाने हेतु वाद वास्ते तकाश्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीया के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1/1, 2, 3, 12 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर एडवोकेट उपस्थित आये एंव जवाब दावा पेश करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 10, 11, 13, 14 के सम्मन नोटिस की तामील साधारण तरीके से एंव प्रतिवादी संख्या 4, 7 से 9 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11, 13, 14 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 13 ए के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई। प्रतिवादी संख्या 6 के फौत होने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान प्रतिवादी संख्या 6 का पेश हुआ। जो वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर स्वीकार होकर प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान् को रिकार्ड पर लिया गया। वकील वादीया ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीया एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 12 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बटटा नम्बर डालकर वादीया व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बाबत निवेदन किया। जिस पर वकील वादीया व वकील प्रतिवादीगण ने अपनी – अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उभय पक्षकारान् अधिवक्तागणों ने पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। वकुलाय उभय पक्षकारान् के सहमत होने पर प्रकरण में तनकीयात [illegible] सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.07.2022 को जारी की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी दिनांक 18.07.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1460/रीडर/2022 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 3048/भू.अ./2022 दिनांक 05.12.2022 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादीया ने प्रकरण में पक्षकारान् के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीया ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिकी जारी किये जाने का निवेदन वकील वादिया ने किया। वकील वादीया ने प्रारम्भिक डिकी की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिकी जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादीया व पक्षकारान् की सहमति एंव अनापत्ति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिकी जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 (1/1, 6/1 – 6/4) के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 05.12.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियॉं:–

खाता संख्या	काश्तकार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
106	1. औकार नाथू बहादूर सुण्डा पुत्रगण नानूडा उर्फ नानूराम, झूमा मनभरी पुत्रियां नानूडा उर्फ नानूराम हिस्सा 27/112, 2. पतासी पत्नि मंगला हि0 1/12 3. भगवन्त सिंह सांवत सिंह पुत्रगण मंगला हि0 1/6 4. महावीर पुत्र धूडा हि0 9/112 समस्त जाति गुर्जर, 5. बबली पत्नि हरिशंकर हि0 2/5 6. लालचन्द पुत्र गिरधारीलाल हि0 1/10 जाति जाट खातेदार	113 96 97	0.59 0.91 0.51	बा02 बा02 बा02	1.98 3.06 1.71 123-00
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.75

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियॉः–

खाता संख्या	काश्तकार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
107	1. औकार नाथू बहादूर सुण्डा पुत्रगण नानूडा उर्फ नानूराम, झूमा मनभरी पुत्रियां नानूडा उर्फ नानूराम हिस्सा 27/112, 2. पतासी पत्नि मंगला हि0 1/12 3. भगवन्त सिंह सांवत सिंह पुत्रगण मंगला हि0 1/6 4. कोयली देवी पत्नी औकांरमल हिस्सा 25/68, 5. महावीर पुत्र धूडा हि0 9/112 समस्त जाति गुर्जर, 6. लालचन्द पुत्र गिरधारी हि0 9/68 जाति जाट खातेदार	114	0.68	बा02	2.28 123-00
		किता 1	0.68	बा02	2.28

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	कोयली देवी पत्नी औंकारमल हि0 2/125, प्रकाश उर्फ औमप्रकाश पुत्र औंकार हि0 2/125, कृष्ण कुमार पुत्र औंकार हि0 2/125, इन्द्राज पुत्र औंकार हि0 2/125, सुमन पुत्री औंकार हि0 2/125, समस्त जाति गूर्जर राहिन PNB SMPR नाथू पूत्र नानूडा उर्फ नानूराम हि0 2/25, बहादूर पुत्र नानूडा उर्फ नानूराम हि0 2/25, जाति गूर्जर राहिन PNB SMPR सुण्डा पुत्र नानूडा उर्फ नानूराम हि0 2/25, झूम्मा पूत्री नानूडा उर्फ नानूराम हि0 59/5400, मनभरी पुत्री नानूडा उर्फ नानूराम हि0 59/5400, मिश्री पुत्री मंगला हि0 83/1500, भगवन्त सिंह पुत्र मंगला हि0 83/375, राहिन एक्सिस बैंक शाखा श्रीमाधोपुर सावंत सिंह पुत्र मंगला हि0 83/375, महावीर पुत्र धूडा हि0 1081/6750, सभस्त जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	97 96/2	0.51 0.84	बा.2 बा.2	1.71 2.82
		किता 2	1.35	बारानी –2	4.53
02	श्रीमती कोयली देवी पत्नि औंकारमल हि0 पूर्ण जाति गूर्जर हि0सा. देह खातेदार	114/4	0.25	बा02	0.8382 (0.84)
		किता 1	0.25	बा02	0.8382

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

03	लालचन्द पुत्र गिरधारी हि0 25 / 102, बबली देवी पत्नि हरिशंकर हि0 14 / 17, राहिन BRKGB शाखा कंचनपुर समस्त जाति जाट खातेदार	113 114 / 2 **किता 2**	0.59 0.43 **1.02**	बारानी2 बा02 बा02	1.98 1.44 **3.42**
04	बबली देवी पत्नि हरिशंकर हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 जोरावर नगर खातेदार राहिन BRKGB शाखा कंचनपुर	96 / 1 **कुल किता 1**	0.07 **0.07**	बा02 बा02	0.24 **0.24**

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 3048 / भू.अ. / 2022 दिनांक 05.12.2022 के द्वारा प्राप्त विविध विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:52 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)